प्राथमिक पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

इज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....फतेहपुर (सीकर)

इजलास.....रेनू मीणा (आर.ए.एस..).....

मूलचन्द पुत्र स्व. बिरमा जाति जाट निवासी ग्राम गांगियासर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र स्व. बिरमा जाति जाट निवासी ग्राम गांगियासर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
2. सुल्तान पुत्र स्व0 बिरमाराम जाति जाट निवासी ग्राम गांगियासर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
3. तहसीलदार एवं उपपंजीयक फतेहपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन / स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकद्दमा नं.....37.....सन्....2014.....

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....मेरे.....

व हाजिरी..रजनेश एडवोकेट.....मिनजानिब मुद्दई रूबरू.....श्री एडवोकेट .....

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम गांगियासर की भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 1.56है0, खसरा नम्बर 100/3 रकबा 0.17 है0 कुल रकबा 1.73 है0 में से वादी के खाते काश्त व भौतिक कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 66 में से वादी के अकेले के कब्जे की 0.7386 भूमि का माप व सीमांकन से विभाजन किया जाकर वादी के नाम अलग से खाता व लगान निर्धारित किया जावे।

तहसीलदार फतेहपुर को आदेश दिया जाता है कि बंटवारा प्रस्ताव व मौका नक्शा विभिन्न रंगों से दर्शाते हुए दो प्रतियों में भिजवाया जावें।

निज.....–.....मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह.....–.....फीसदी सालाना आज की तारीख से

तरीख अदायगी तक.....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....07.....माह .....मार्च.....सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत.....

उपखण्ड अधिकारी

मुहर ओहदा.....फतेहपुर (सीकर).....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	—	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महन्ताना वकील	—		महन्ताना वकील	—	
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान	—	
फीस कमिश्नर	—		फीस कमिश्नर	—	
बबत इजराय हुक्मनामा	—		बबत इजराय हुक्मनामा	—	
मुतफरिक	—		मुतफरिक	—	
मीजान	3				

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)